30-8-24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे पूर्व मे बहस सुनी जा चुकी है। प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कि जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

...य सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज.
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

...वा सं0 : 79/20

1:– मांगीलाल पिता भुवाना जी कलाल उम्र वयस्क निवासी मनकेसर तह0 बेगू.

.... वादीगण

– बनाम –

1:– नारायण पिता भगवतीराम जी कलाल उम्र वयस्क निवासी मनकेसर तह0 बेगू.
2:– बालु पिता भगवतीराम जी कलाल उम्र वयस्क निवासी मनकेसर तह0 बेगू.
3:– श्रीमान बैंक शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा रुलीमंगरा तह0 बेगू.
4:– श्रीमान तहसीलदार सा0 बेगू

.......प्रतिवादीगण

उपस्थित :: विष्णु चतुर्वेदी
अधिवक्ता वादीगण
अनुपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 30/08/2024

दावा अ0धा0 53 राज0का0अधि0

वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 का वकील श्री विष्णु चतुर्वेदी द्वारा पेश कर निवेदन इस प्रकार से किया है कि मौजा मनकेसर प0ह0 डोराई तह0 बेगू में वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 2 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड के खाता सं0 58 आराजी नं0 228, 235, 236 कुल कीता 3 कुल रकबा 2.0720 है0 दर्ज रेकार्ड है।

वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी का 1/3 तथा प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 2/3 हक हिस्सा निहित है तथा वादी एवं प्रतिवादी अपने–अपने निहित हक हिस्सा अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाडा कर निरंतर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आए दिन फसल बौने व घास काटते समय आये दिन विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन करने के लिये प्रतिवादीगण को कहा तो इन्कार कर देने से यह वाद पत्र विभाजन न्यायालय श्रीमान में पेश किया।

यह कि वाद कारण दिनांक 5.09.2020 को वादी ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर भूमि का बंटवाडा कराने एवं खाता अलग कराने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावे

(क) वाद पत्र में वर्णित संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात में वादी 1/3 हक हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 व 2 का 2/3 हिस्सा निहित है जो मिट्स एंड बाउंस के आधार पर अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि का मौके पर काबिजानुसार एवं राजस्व रेकार्ड में विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान की जावे।

(ख) वाद विभाजन वादी के निहित हक हिस्सा भूमि का खाता अलग रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान कराई जावे।

(ग) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी को विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावे।

(घ) वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

धा0 53 राज0का0अधि0 का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत किया गया एवं प्रतिवादी सं0 3 4 की ओर से जवाब पेश नहीं होने से जवाब दावा बंद किया जाने से तनकी पत्र कायम नहीं की जाने के पश्चात प्रकरण में वादी मांगीलाल व चुन्नीलाल ने साक्ष्य हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 3.03.2022 को अपने बयान कलम बद्ध कराये साथ ही वादी द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1 नकल जमाबंदी प्रदर्श 2 है पेश किये। वादी
के बयान होने उपरांत अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होंने अपनी बहस वाद पत्रानुसार निवेदन की है। बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत नकल जमाबंदी का अवलोकन किये जाने पर पाया कि वाद वर्णित आराजीयात में वादी मांगीलाल पिता भुवाना लाल कलाल का हिस्सा 1/3 अंकित जिसे वह पृथक करा पाने का अधिकार रखता है। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वादी का वाद अ0धा0 53 राज0का0अधि0 स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है मौजा मनकेसर प0ह0 डोराई की आराजी सं0 228, 235, 236 कुल कीता 3 कुल रकबा 2.0720 है0 भूमि में वादी का हिस्सा 1/3 व शेष हिस्सा प्रतिवादी गण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए वर्णित आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर तथा मीट्स एडं बाउण्डस अनुसार किये जाने हेतु तहसीलदार बेगू को एक हजार रूपये कमीश्नर शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को विभाजन हेतु भिजवाई जाकर विभाजन प्रस्ताव दो प्रति में तलब किये जावे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र कमांक 3042 दिनांक 20.08.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मनकेसर पटवार हल्का डोराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1—नारायण पुत्र भगवतीराम कलाल सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.040	बीड	0.10
236 मे	0.565	चाही2	15.65
कीता—2	0.605 हैक्टर		15.75

2— बालु पुत्र भगवतीराम कलाल सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.030	बीड	0.07
236 मे	0.575	चाही2	15.93
कीता—2	0.605 हैक्टर		16.00

...ीलाल पुत्र भगवतीराम कलाल सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.027	बीड	0.07
236 मे	0.578	चाही2	16.01
कीता–2	0.605 हैक्टर		16.08

4– शामलाती बदस्तुर जमाबंदी खातानुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.150	बीड	0.37
228 मे	0.004	चाही2	0.01
235 मे	0.040	आ.चा.	–
236 मे	0.063	चाही2	1.74
कीता–4	0.257 हैक्टर		2.12

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

...लाती बदस्तुर जमाबंदी खातानुसार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.150	बीड	0.37
228 मे	0.004	चाही2	0.01
235 मे	0.040	आ.चा.	—
236 मे	0.063	चाही2	1.74
कीता—4	0.257 हैक्टर		2.12

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

कमांक / सरिस्ता / 2024 / दिनांक :—

प्रतिलिपि तहसीलदार बेगू को अंतिम डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगू को भिजवाई जावे।

सहायक कलेक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा सं0 : 74/17

1:— मांगीलाल पिता भुवाना जी कलाल उम्र वयस्क निवासी मनकेसर तह0 बेगू

.... वादीगण

— बनाम —

1:— नारायण पिता भगवतीराम जी कलाल उम्र वयस्क निवासी मनकेसर तह0 बेगू
2:— बालु पिता भगवतीराम जी कलाल उम्र वयस्क निवासी मनकेसर तह0 बेगू
3:— श्रीमान बैंक शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सुलीमंगरा तह0 बेगू
4:— श्रीमान तहसीलदार सा0 बेगू

.......प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु चतुर्वेदी की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता.......... अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मनकेसर पटवार हल्का डोराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

1—नारायण पुत्र भगवतीराम कलाल सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.040	बीड	0.10
236 मे	0.565	चाही2	15.65
कीता—2	0.605 हैक्टर		15.75

2— बालु पुत्र भगवतीराम कलाल सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.030	बीड	0.07
236 मे	0.575	चाही2	15.93
कीता—2	0.605 हैक्टर		16.00

3—मांगीलाल पुत्र भगवतीराम कलाल सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडोदा शाखा सूलीमगरा

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
228 मे	0.027	बीड	0.07
236 मे	0.578	चाही2	16.01
कीता—2	0.605 हैक्टर		16.08